पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्रों में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

लखनऊः 25 सितम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में निर्गत प्रमाणपत्रों में सुधार कर नवीन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी प्रमाणपत्र में आवश्यक संशोधन के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://certificates.upessc.org/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, प्रत्यावेदन अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रमाणपत्रों में संशोधन से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने के लिए संशोधन शुल्क 200 रुपए (रुपये दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है। प्रमाणपत्र में एक बार संशोधन किए जाने के उपरांत अभ्यर्थी को पुनः किसी अन्य संशोधन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

राघवेन्द्र / 06:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in